

लय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

२०[॥]/_{२५} पत्रावली पैरा हुई। वकील वारीगन उप.
 हुए। वकील वारीगन मुकदमा को आगे
 चलाना नहीं चाहते हैं। अतः मु. नं.
 १३१/२०२२ उन्वान मौलौ बनाम थानू
 दावा बाबत तमास्मा आराजीयत तब
 घोषणा तब स्पार्ड निवेद्याज्ञा नोट
 त्रेम में चारिज किया जाता है।
 पत्रावली में दिनांक १७.०६.२२ को
 जारी स्थगन आदेश निद्रो दिव जावैकें।
 पत्रावली फैसल मुमार ठोकर वार तमभिल
 नं. से कम की जाकर राखिल रफतर
 हो। आदेश मुले न्यायालय में
 सुनाया गया।